Part – I

A

न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक – 27 मई, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 44/2024 सीएनआर संख्या – RJCH010003822024 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 15/2023 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री साँवरमल स्वामी, योग्य अधिवक्ता विद्युत विभाग की तरफ से
ACCUSED	तुलछीदास स्वामी पुत्र जियाराम स्वामी निवासी खोड़ला तहसील लूणकरणसर बीकानेर हाल नैणासर सुमेरिया पीएस भानीपुरा जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री बाबूलाल सैनी, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

B

Date of Offence	07.01.2023
Date of FIR	11.01.2023
Date of Chargesheet	22.03.2024
Date of Framing of Charges	25.09.2025
Date of commencement of evidence	04.11.2025
Date on which judgment is reserved	27.05.2026
Date of the Judgement	27.05.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	तुलछीदास	09.02.2023	09.02.2023	135 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	–

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert

		Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	नवीन कुमार मीणा	तकनीकी सहायक द्वितीय, सहायक अभियंता कार्यालय, भानीपुरा / मौके पर जांच दल सदस्य
PW. 2	नरेन्द्र कुमार पारीक	सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम / परिवादी एवं जांच अधिकारी
PW. 3	बजरंगलाल	तकनीशियन, सहायक अभियंता कार्यालय भादासर दिखणादा / जांच दल सदस्य
PW. 4	रामजीलाल	तत्कालीन थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक थाना, चूरू / अनुसंधान अधिकारी

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	वीसीआर / सतर्कता जांच प्रतिवेदन
2	प्रदर्श पी–2 से पी–7	मौके के फोटोग्राफ
3	प्रदर्श पी–8	प्रोविजनल असेसमेंट नोटिस
4	प्रदर्श पी–9	एसेसमेंट शीट
5	प्रदर्श पी–10	भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65–बी का प्रमाण पत्र
6	प्रदर्श पी–11	वीसीआर की हार्ड कॉपी
7	प्रदर्श पी–12	मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र
8	प्रदर्श पी–13	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
9	प्रदर्श पी–14	नक्शा मौका
10	प्रदर्श पी–15	धारा 41 ए सीआरपीसी का नोटिस
11	प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफ्तारी

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी–1	संबंधित कृषि भूमि की जमाबंदी प्रति

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

– नि र्ण य –

दिनांक 27 मई, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11–01–2023 को नरेन्द्र कुमार पारीक सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम भादासर ने विधुत चोरी निरोध पुलिस थाना, चूरू में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 07–01–2023 को जो.वि.वि.नि.लि. भादासर द्वारा तुलछीदास के खेत खसरा संख्या 5 रोही नैणासर सुमैरिया पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति अवैध रूप से एचटी लाईन पर अवैध कनेक्शन करके विद्युत उपभोग कर विद्युत चोरी करता हुआ पाया गया। जिसकी मौके पर वीसीआर नम्बर 3104530–0–7586 दिनांक 07–01–2023 भरी गई, जाँच अधिकारी ने निरीक्षण के समय मौजूद गवाहों के समक्ष अलग–अलग फोटो ली, वगैरह–वगैरह।

(2) उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफ आई आर नम्बर 15/2023 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना चूरू में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप–पत्र पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

(3) बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त पर धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(4) अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्तानुसार पी .डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 4 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–16 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

(5) अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना कथन किया है तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्त को बचाव साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु उसकी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई जबकि अभियोजन साक्ष्य के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में 1 दस्तावेज

को प्रदर्शित करवाया गया।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या अभियुक्त दिनांक 07.01.2023 को विद्युत चोरी निरीक्षण दल द्वारा रोही नैणासर सुमैरिया में स्थित अपने कब्जेशुदा खेत खसरा नम्बर 05 में बिना अनुमति एचटी लाईन एवं ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से सीधी विद्युत आपूर्ति लेकर विद्युत चोरी कर रहा था ?**
2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जाते हैं तो अभियुक्त को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(7) इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की सिद्धि के अनुक्रम में जिन गवाहान को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य इस प्रकार से हैः–

(8) पी.डब्ल्यू.1 नवीन कुमार मीणा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.01.2023 को वह तकनीकी सहायक द्वितीय के पद पर सहायक अभियंता कार्यालय, भानीपुरा में पदस्थापित थे। उस दिन वह नैणासर सुमेरिया जीएसएस पर उपस्थित थे। उसी दिन सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार पारीक वहां आए और उन्हें अपने साथ नैणासर सुमेरिया की रोही में लेकर गए। वहां तुलछीदास स्वामी के खेत में जाकर जांच की गई, जहां मौके पर पाया गया कि अवैध विद्युत लाइन बिना पोल के डाली हुई थी तथा ट्यूबवेल के माध्यम से लगभग 40 बीघा भूमि में फसल की काश्त की हुई थी। उस समय तुलछीदास स्वामी द्वारा कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था। मौके पर जांच के दौरान स्टार्टर आदि उपकरण भी पाए गए। मौके पर सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी स्थान पर नवीन कुमार मीणा के हस्ताक्षर अंकित हैं। मौके पर सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार पारीक द्वारा फोटोग्राफ भी खींचे गए थे, जो पत्रावली में चस्पा हैं। **जिरह** में इस गवाह ने कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त तुलछीदास के खेत में कथित अवैध लाईन कब एवं किसके द्वारा डाली गई थी। उसने यह भी कहा कि 11 हजार केवी लाईन पर अवैध लाईन डालने के लिए विद्युत सप्लाई रूकवानी पड़ती है तथा यह कार्य केवल एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता है। शटडाउन लिये जाने पर विभाग में उसका इन्द्राज किया जाता है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसे एफआरटी टीम द्वारा किसी अवैध लाईन की सूचना नहीं दी गई थी। मौके पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला तथा 11 हजार केवी लाईन से ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्रांसफार्मर आवश्यक होना बताया। उसने यह भी कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि संबंधित खेत तुलछीदास का था या किसी अन्य का। उसने कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा तथा न ही पटवारी से पूछताछ की गई। गवाह ने यह भी कहा कि मौके पर बिजली का उपयोग नहीं हो रहा था तथा यह भी नहीं बता सकता कि उक्त लाईन विभाग के कर्मचारियों द्वारा डाली गई हो।

(9) पी.डब्ल्यू.2 नरेन्द्र कुमार पारीक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.01.2023 को वह सहायक अभियंता के पद पर जोधपुर डिस्कॉम, भादासर दिखणादा, तहसील सरदारशहर में पदस्थापित थे। उस दिन उनके द्वारा भानीपुरा सबडिविजन क्षेत्र में नैणासर सुमेरिया गांव की रोही में तुलछीदास स्वामी पुत्र जियाराम स्वामी के खेत की जांच की गई। जांच के दौरान खसरा संख्या 5 (वर्तमान खसरा संख्या 7) में 9 पोलों की अवैध विद्युत लाइन डालकर विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। जांच के समय उनके साथ तेजाराम (टेक्निकल हेल्पर/टेक्नीशियन), बजरंगलाल, नवीन तथा विद्युत थाना चूरू के मुलाजमान उपस्थित थे। इनके समक्ष मौके पर जांच कर वीसीआर (VCR) तैयार की गई, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर सी से डी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं। मौके पर तुलछीदास स्वामी का पुत्र द्वारकादास भी उपस्थित था, जिसके हस्ताक्षर उक्त जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 पर ई से एफ स्थान पर अंकित हैं। मौके पर उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–2 से प्रदर्श पी–7 तक हैं, जिन पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं। जांच के पश्चात उनके द्वारा प्रोविजनल असेसमेंट नोटिस जारी किया गया, जो प्रदर्श पी–8 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त नोटिस 2,55,325/– रुपये की राशि का जारी किया गया था। नोटिस जारी करने से पूर्व अवैध रूप से 40 एचपी विद्युत भार पाए जाने पर असेसमेंट शीट तैयार की गई, जो प्रदर्श पी–9 है। फोटोग्राफ एवं वीसीआर के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी के अंतर्गत प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। वीसीआर की हार्ड कॉपी का पुनः प्रिंट लेकर उस पर भी मूल हस्ताक्षर किए गए, जो प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसके पश्चात उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–12 मय समस्त दस्तावेज विद्युत थाना चूरू में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत किया गया, जिस पर ए से बी स्थान पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज एफआईआर प्रदर्श पी–13 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात थाना पुलिस द्वारा उन्हें मौके पर लेकर जाया गया, जहां नक्शा मौका तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–14 है, जिस पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं। **जिरह** में इस गवाह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित रूप से लाईनों की जांच नहीं की जाती तथा कई बार 5–6 माह तक भी लाईन चैक नहीं होती। उसने कहा कि 11 हजार केवी लाईन में अवैध लाईन जोड़ना छोटे–मोटे फॉल्ट की श्रेणी में आता है तथा शटडाउन लेने पर उसका विभाग में इन्द्राज किया जाता है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 से पी–7 फोटोग्राफ में कोई ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं दे रहा है। उसने यह भी कहा कि कथित ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता अपने वाहन में डालकर मौके से ले गया था किन्तु उसकी कोई फोटो नहीं ली गई तथा वाहन नम्बर भी नोट नहीं किए गए। गवाह ने स्वीकार किया कि नक्शा मौका में वाहन के जाने की दिशा अंकित नहीं है। उसने यह भी स्वीकार

किया कि नोटिस प्रदर्श पी–8 में 7 दिवस का समय दिया गया था किन्तु उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गवाह ने यह भी कहा कि नोटिस की रजिस्टर्ड डाक रसीद एवं डिस्पेच रजिस्टर की प्रति पत्रावली में पेश नहीं की गई। उसने स्वीकार किया कि वर्ष 2023 में उक्त कृषि भूमि गीता देवी के नाम से थी तथा उसने खेत के मालिकाना हक बाबत् कोई जमाबंदी अथवा राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया।

(10) पी.डब्ल्यू.3 बजरंगलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.01.2023 को वह भादासर में तकनीशियन के पद पर सहायक अभियंता कार्यालय, भादासर दिखणादा में पदस्थापित थे। उस दिन वह सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार पारीक के साथ विद्युत चोरी पकड़ने के लिए भानीपुरा उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम नैणासर सुमेरिया की रोही में गए थे। उस समय उनके साथ तेजाराम तथा नवीन भी तकनीशियन के रूप में उपस्थित थे। जांच के दौरान तुलछीदास पुत्र जियाराम के खेत में जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि लगभग 9 पोलों की अवैध विद्युत लाइन खींचकर तथा अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर कुएं पर विद्युत का अवैध उपयोग करते हुए विद्युत चोरी की जा रही थी। इस पर मौके पर सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार पारीक द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–1 है। उक्त जांच प्रतिवेदन पर जी से एच स्थान पर बजरंगलाल के हस्ताक्षर तथा आई से जे स्थान पर तेजाराम के हस्ताक्षर अंकित हैं। दौराने जांच तुलछीदास का पुत्र द्वारकादास भी मौके पर उपस्थित मिला, जिसके हस्ताक्षर उक्त जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 पर ई से एफ स्थान पर करवाए गए। **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि 11 हजार केवी लाईन की निगरानी के लिए कर्मचारी एवं एफआरटी टीम रहती है तथा किसी भी लाईन से दूसरी लाईन जोड़ने पर शटडाउन लिया जाता है और उसका विभाग में इन्द्राज किया जाता है। उसने कहा कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि संबंधित खेत तुलछीदास का था, बल्कि वह फोन पर मिली सूचना के आधार पर ऐसा बता रहा था। गवाह ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पिकअप गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेकर भाग गया किन्तु वह कौन था, यह उसे पता नहीं। वाहन का पीछा भी नहीं किया गया। गवाह यह भी नहीं बता सका कि पिकअप गाड़ी उनसे कितनी दूरी पर थी। उसने स्वीकार किया कि तुलछीदास मौके पर उपस्थित नहीं मिला तथा उसके लड़के की कोई आईडी भी नहीं ली गई।

(11) पी.डब्ल्यू.4 रामजीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 11.01.2023 को वह विद्युत चोरी निरोधक थाना में थानाधिकारी के पद पर तैनात थे। उस दिन सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार पारीक हाजिर थाना होकर विद्युत चोरी संबंधी मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श पी–12 है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल वीसीआर दिनांक 07.01.2023, फोटोग्राफ, जांच दल के सदस्यों का ब्योरा, एसेसमेंट शीट तथा नोटिस भी प्रस्तुत किए गए थे। प्रदर्श पी–12 पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा सी से डी स्थान पर पुलिस कार्यवाही अंकित है और ई से एफ स्थान पर रामजीलाल के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर

एफआईआर दर्ज की गई, जो प्रदर्श पी–13 है, जिस पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के तथा सी से डी स्थान पर रामजीलाल के हस्ताक्षर अंकित हैं। प्रदर्श पी–12 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रदर्श पी–11 (वीसीआर), प्रदर्श पी–8 (नोटिस), प्रदर्श पी–9 (एसेसमेंट शीट) तथा फोटोग्राफ प्रदर्श पी–2 से प्रदर्श पी–7 तक शामिल थे। फोटोग्राफ के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–10 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के हस्ताक्षर अंकित हैं, जिसे अवलोकन कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया। दौराने अनुसंधान वह मौके पर गए और वहां नक्शा मौका तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–14 है। इस पर ए से बी स्थान पर नरेन्द्र कुमार पारीक के, सी से डी स्थान पर रामजीलाल के, ई से एफ स्थान पर मुलजिम तुलछीदास के, जी से एच स्थान पर अनिल (एफसी) के तथा आई से जे स्थान पर मुलजिम के पड़ोसी राजाराम के हस्ताक्षर अंकित हैं। अनुसंधान के दौरान नरेन्द्र कुमार पारीक, नवीन कुमार मीणा, तेजाराम बेनिवाल तथा बजरंगलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। मुलजिम को धारा 41 ए सीआरपीसी का नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी–15 है, जिस पर ए से बी स्थान पर रामजीलाल के तथा सी से डी स्थान पर मुलजिम के हस्ताक्षर अंकित हैं। मुलजिम तुलछीदास की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16 है, जिस पर ए से बी स्थान पर रामजीलाल के, सी से डी स्थान पर मुलजिम तुलछीदास के तथा ई से एफ स्थान पर मुलजिम के पौते राजूदास के हस्ताक्षर अंकित हैं। **जिरह** में इस गवाह ने कहा कि वह वीसीआर की कार्यवाही के समय मौके पर नहीं गया था। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी –2 से पी–7 फोटोग्राफ में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है तथा वीसीआर भरते समय कोई ट्रांसफार्मर, तार अथवा अन्य सामग्री जब्त नहीं की गई। उसने यह भी कहा कि अनुसंधान के दौरान संबंधित खेत के मालिकाना हक बाबत् तहसीलदार या पटवारी से कोई राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया तथा पड़ौसियों के बयान भी नहीं लिये गए। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–10 प्रमाण पत्र के साथ कोई मोबाईल अथवा पेनड्राइव पेश नहीं की गई। उसने यह भी कहा कि नोटिस में 7 दिवस का समय दिया गया था किन्तु उससे पूर्व ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई।

<u>**विचारणीय प्रश्न संख्या – एक**</u>

(12) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के सम्बन्ध में बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय है। अभियोजन द्वारा यह कहा गया कि मौके पर अवैध ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जिसे कोई व्यक्ति पिकअप गाड़ी में रखकर मौके से लेकर भाग गया किन्तु अभियोजन न तो उक्त ट्रांसफार्मर बरामद कर सका और न ही उसे न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि ट्रांसफार्मर ले जाने वाले वाहन के नम्बर नोट नहीं किये गये तथा उसकी कोई फोटो भी नहीं ली गई। प्रदर्श पी–2 से पी–7 फोटोग्राफ में भी कोई ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं देता है। अभियोजन के गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि 11 हजार केवी

लाईन पर अवैध लाईन जोड़ने के लिए शटडाउन लेना आवश्यक होता है तथा उसका विभागीय रिकॉर्ड रखा जाता है किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मौके पर कोई विद्युत उपयोग होते हुए नहीं पाया गया तथा अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि कथित अवैध विद्युत लाईन वास्तव में अभियुक्त द्वारा ही डाली गई थी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया कि प्रदर्श डी –1 जमाबंदी के अनुसार वीसीआर की कार्यवाही के समय संबंधित भूमि अभियुक्त तुलछीदास के नाम नहीं होकर गीता देवी के नाम दर्ज थी। अभियोजन के गवाहों ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने खेत के मालिकाना हक के संबंध में न तो कोई राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया और न ही पटवारी अथवा तहसीलदार से कोई जांच की। पी.डब्ल्यू.1 नवीन कुमार मीणा एवं पी.डब्ल्यू.3 बजरंगलाल ने स्पष्ट कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि खेत वास्तव में किसका था। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त का उक्त भूमि से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में विफल रहा। प्रदर्श डी –1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा अभियोजन की कार्यवाही बाद में बैठकर तैयार की गई है। गवाहों के बयानों में अनेक महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। किसी गवाह ने कहा कि ट्रांसफार्मर मौके पर था जबकि किसी ने कहा कि ट्रांसफार्मर मौके पर नहीं मिला। किसी गवाह ने कहा कि खेत में तुलछीदास का लड़का उपस्थित था जबकि उसकी कोई पहचान संबंधी कार्यवाही नहीं की गई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाह भी अभियोजन द्वारा पेश नहीं किये गये। पड़ौसी खेत मालिकों के बयान भी अनुसंधान में नहीं लिये गये। अतः अभियोजन का मामला केवल संदेह एवं अनुमान पर आधारित है। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्त के साथ रंजिशवश झूठी कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसलिए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

(13) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी किया जाना प्रमाणित है। अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.01.2023 को अभियुक्त तुलछीदास के खेत में जांच के दौरान 9 पोलों की अवैध विद्युत लाईन पाई गई तथा लगभग 40 बीघा भूमि में फसल की काश्त होना पाया गया। मौके पर तैयार वीसीआर प्रदर्श पी–1, फोटोग्राफ प्रदर्श पी–2 से पी–7, नोटिस प्रदर्श पी–8, एसेसमेंट शीट प्रदर्श पी–9 एवं अन्य दस्तावेज अभियोजन की कार्यवाही की पुष्टि करते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि उसी दिन अभियुक्त के पड़ौसी डूंगरराम के खेत में भी समान प्रकृति की कार्यवाही की गई थी, जिससे घटना की सत्यता सिद्ध होती है। परिवादी पक्ष ने यह भी कहा कि जिस समय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था, उस समय संबंधित भूमि अभियुक्त तुलछीदास के नाम थी तथा आवेदन भी उसी के द्वारा किया गया था। अभियुक्त पक्ष द्वारा फोटोग्राफ के संबंध में यह आपत्ति भी नहीं की गई कि फोटोग्राफ में दर्शित खेत अभियुक्त का नहीं है। अभियोजन के अनुसार मात्र ट्रांसफार्मर बरामद नहीं होने से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी असत्य नहीं हो जाती क्योंकि

अभियोजन गवाहों ने स्पष्ट कहा है कि जांच दल को देखकर ट्रांसफार्मर वाहन में रखकर मौके से ले जाया गया था। अतः अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध कर दिये हैं, इसलिए अभियुक्त को दोषी ठहराये जाने का निवेदन किया गया।

(14) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।**अभियोजन द्वारा घटना का वर्णन** इस प्रकार किया गया है कि दिनांक 07.01.2023 को अभियोजन दल द्वारा ग्राम नैणासर सुमेरिया की रोही में स्थित कथित रूप से अभियुक्त तुलछीदास स्वामी के खेत की जांच की गई, जहां 11 हजार केवी लाईन से लगभग 9 पोलों की अवैध विद्युत लाईन डालकर ट्यूबवेल के माध्यम से कृषि कार्य हेतु विद्युत चोरी किया जाना पाया गया। मौके पर वीसीआर भरी गई, फोटोग्राफ लिये गये तथा बाद में नोटिस एवं एसेसमेंट जारी कर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसकी पुष्टि स्वरूप अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसी दिन पड़ोसी खेत स्वामी डूंगराराम के विरुद्ध भी समान प्रकार की कार्यवाही की गई थी किन्तु अभिलेख से स्पष्ट है कि डूंगराराम के विरुद्ध उक्त कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2026 को उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः केवल समान प्रकृति की कार्यवाही का हवाला देना अभियोजन के मामले को स्वतः प्रमाणित नहीं करता।

(15) जहाँ तक **कब्जे एवं स्वामित्व** का प्रश्न है, अभियोजन का यह कथन रहा कि संबंधित भूमि अभियुक्त तुलछीदास की थी। यद्यपि वर्ष 2023 की जमाबंदी में उक्त भूमि गीता देवी के नाम दर्ज होना बताया गया है किन्तु अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पूर्व में उक्त भूमि अभियुक्त तुलछीदास के नाम दर्ज रही थी तथा गीता देवी अभियुक्त की पुत्रवधु है। साथ ही विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन भी अभियुक्त द्वारा ही किया गया था। अभियोजन गवाहों द्वारा स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार अथवा पटवारी से पृथक रूप से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया तथापि उपलब्ध अभिलेख एवं परिस्थितियों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि संबंधित भूमि पर कब्जा एवं नियंत्रण अभियुक्त तुलछीदास तथा उसके परिवार का ही था। अतः कथित भूमि पर अभियुक्त पक्ष का कब्जा प्रमाणित है।

(16) जहाँ तक अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी किए जाने का प्रश्न है। अभियोजन के अनुसार मौके पर **ट्रांसफार्मर** के माध्यम से चोरी की जा रही थी तथा अभियोजन दल को देखकर एक व्यक्ति ट्रांसफार्मर को पिकअप गाड़ी में रखकर मौके से भाग गया किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र परीक्षण करने पर सर्वप्रथम यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कथित ट्रांसफार्मर, जिसके माध्यम से कथित रूप से विद्युत चोरी होना बताया गया, न तो मौके से जब्त किया गया और न ही बाद के अनुसंधान में बरामद किया गया। पी.डब्ल्यू.2 नरेन्द्र कुमार पारीक एवं पी.डब्ल्यू.3 बजरंगलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में यह कहा कि अभियोजन दल को देखकर कोई व्यक्ति ट्रांसफार्मर को पिकअप गाड़ी में रखकर भाग गया किन्तु दोनों ही गवाह उस व्यक्ति की पहचान नहीं बता सके। वाहन का नम्बर भी नोट नहीं किया गया तथा न ही उसका पीछा किया गया। पी.डब्ल्यू.3

बजरंगलाल ने तो यहां तक कहा कि वह यह भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि उक्त वाहन उनसे कितनी दूरी पर था। यदि वास्तव में मौके पर अवैध ट्रांसफार्मर मौजूद था और अभियोजन दल ने उसे देखा था तो स्वाभाविक रूप से वाहन का विवरण नोट किया जाना, उसका पीछा किया जाना अथवा पश्चातवर्ती अनुसंधान में ट्रांसफार्मर बरामद करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा कोई प्रयास अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं होता। यह भी उल्लेखनीय है कि पी.डब्ल्यू.1 नवीन कुमार मीणा ने अपनी जिरह में स्पष्ट कहा कि मौके पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला था तथा उसने यह भी स्वीकार किया कि 11 हजार केवी लाईन से ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्रांसफार्मर आवश्यक होता है। इस प्रकार अभियोजन गवाहों के कथनों में ही महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **फोटोग्राफ** प्रदर्श पी–2 से पी–7 का अवलोकन करने पर भी कथित ट्रांसफार्मर कहीं दिखाई नहीं देता। स्वयं पी .डब्ल्यू.2 नरेन्द्र कुमार पारीक एवं पी.डब्ल्यू.4 रामजीलाल ने जिरह में स्वीकार किया कि उक्त फोटोग्राफ में कोई ट्रांसफार्मर दर्शित नहीं हो रहा है। अभियोजन के अनुसार मौके पर **स्टार्टर, बैटरी, तार एवं अन्य सामग्री** भी मौजूद थी किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त में से कोई भी सामग्री जब्त नहीं की गई। जबकि अभियोजन के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि मौके पर ऐसी कोई प्रतिरोधात्मक अथवा असामान्य परिस्थिति थी, जिसके कारण जब्ती कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.डब्ल्यू.4 रामजीलाल ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वीसीआर भरते समय कोई ट्रांसफार्मर, तार अथवा अन्य सामग्री जब्त नहीं की गई थी। यदि वास्तव में उक्त सामग्री मौके पर उपलब्ध थी तो अभियोजन को अपने प्रकरण को अधिक विश्वसनीय एवं पुष्ट बनाने हेतु उसे विधिवत जब्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया जाना अभियोजन के कथन पर संदेह उत्पन्न करता है।

(18) अभियोजन के गवाहों के कथनों से यह तथ्य भी उभरकर सामने आता है कि **11 हजार केवी लाईन पर अवैध लाईन जोड़ने हेतु शटडाउन लिया जाना आवश्यक** होता है तथा उसका विभागीय रिकॉर्ड रखा जाता है। पी.डब्ल्यू.1 नवीन कुमार मीणा, पी.डब्ल्यू.2 नरेन्द्र कुमार पारीक एवं पी.डब्ल्यू.3 बजरंगलाल तीनों ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू.1 नवीन कुमार मीणा ने तो यह भी कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि कथित अवैध लाईन किसके द्वारा डाली गई थी तथा यह संभावना भी नकारी नहीं कि उक्त लाईन विभागीय कर्मचारियों द्वारा डाली गई हो सकती है। किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई शटडाउन रिकॉर्ड, विभागीय प्रविष्टि अथवा अन्य तकनीकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कथित अवैध लाईन वास्तव में कब एवं किसके द्वारा जोड़ी गई थी। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन की कहानी अनेक महत्वपूर्ण त्रुटियों, विरोधाभासों एवं अपूर्ण अनुसंधान से ग्रसित प्रतीत होती है। कथित ट्रांसफार्मर की बरामदगी नहीं होना, मौके से कोई सामग्री जब्त नहीं किया जाना, फोटोग्राफ में कथित मुख्य सामग्री का दिखाई नहीं देना, स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव तथा अभियोजन

गवाहों के कथनों में विरोधाभास अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद बनाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल विभागीय गवाहों के कथनों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियुक्त के पक्ष में एवं अभियोजन के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – दो</u>

(19) विचारणीय प्रश्न संख्या एक में किए गए विवेचन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 135 विद्युत अधिनियम प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त उक्त अपराध में दोषमुक्ति का पात्र है।

–: <u>आ दे श</u> :–

(20) अतः अभियुक्त तुलछीदास स्वामी पुत्र जियाराम स्वामी निवासी खोड़ला तहसील लूणकरणसर बीकानेर हाल नैणासर सुमेरिया पीएस भानीपुरा जिला चूरू को धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(21) अभियुक्त न्यायालय जमानत पर है जिसके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय
(विद्युत अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)

(22) निर्णय व आदेश आज दिनांक 27 मई, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय
(विद्युत अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.05.29
13:02:28 +0530